न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट/पदेन सहायक कलक्टर सीमलवाडा, डूंगरपुर

प्रार्थी — इस्माइल पिता सत्तार घांची निवासी सीमलवाडा

विपक्षी — श्री मजीद पिता सत्तार वगैरा निवासी सीमलवाडा

किस्म मुकदमा: सह पठित धारा 151, ऑर्डर 39 रूल्स 1व 2

पत्रावली संख्याः 48/2017 (2017/00092)

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 25.02.2020 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारगण उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी विवादित भूमि का संयुक्त खातेदारी कृषक होकर उनका कब्जा काश्त होने बाबत वकील प्रार्थी ने निवेदन किया। वकील प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिये पाबंद किये जाना आवश्यक है कि मौजा गुदावाडा के जमाबन्दी खाता संख्या 9 खसरा नम्बर 509, 510, 511, 512, 513, 514, 517, 518, 519 का कुल रकबा 19.01 बीघा भूमि में दौराने वाद किसी प्रकार से किसी व्यक्ति को बेचान, बक्षीस, रहन वसीयत या अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करने एवं अपने कब्जा काश्त में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु दाद चाही गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया वकील पक्षकारगण की बहस सुनी गई। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण को उपरोक्तानुसार प्रार्थी को संयुक्त खातेदारी विरासती आराजी को दौराने वाद किसी प्रकार से किसी व्यक्ति को बेचान, बक्षीस, रहन वसीयत या अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करे प्रार्थना पत्र में ता फैसला मूलवाद के रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम होकर संलग्न मूल वाद रहे। निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया। (के.आर.खौड RAS) उपखण्ड मजिस्ट्रेट सीमलवाडा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2020.03.06 11:56:10 IST
Reason: SelfAttested